20रु. Rs.20 कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(46)

(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प सागर

R. 608-I/17

1— शरीफ अब्बासी आयु 32 साल ,

2— तारीक अब्बासी आयु 29 साल ,

3— दानिश अब्बासी आयु 27 साल ,

तीनों पुत्रगण— स्व0 रफीक अहमद अब्बासी

सभी निबासी— देवेन्द्र नगर रायपुर, छत्तीसगढ़,

.............आवेदकगण

श्रीमती रजनी ... द्वारा आज दि. 8/2/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8/2/17
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

8/2/17

वनाम

असद अहमद अब्बासी उर्फ गालिब भाई ,

पिता जमील अहमद अब्बासी,

निबासी— कबीर वार्ड खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर

.... अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी तहसीलदार खुरई, जिला सागर द्वारा प्र0क0 45/अ6/2015—16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03/02/2017 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है ।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि आवेदकगण के पिता के पिता एवं अनावेदक कमांक एक के पिता जमील अहमद अब्बसी के नाम से ग्राम खुरई के बिभिन्न खसरा नंबरों की भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उपरोक्त जमील अहमद के नाम पर जो संपत्ति है वह उनकी खानदानी संपत्ति है। जमील अहमद का दिनांक 27/07/2007 को स्वर्गवास हो चुका है, बर्तमान में आवेदकगण रायपुर में निबासरत हैं।

3

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि० - 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

राजेन्द्र पटैरिया
सागर

(२)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-608-एक/2017 जिला सागर शरीफ विरूद्ध असद अहमद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक शरीफ अब्बासी की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । 2. यह निगरानी आवेदकगण के द्वारा तहसीलदार खुरई, जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 45/अ6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 03-02-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-02-2017 को प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार - "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त	

संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर जिला कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर जिला सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर जिला सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के.जैन) 16-x-18
सदस्य